1830/2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, राशनकार्ड व जनआधार के आधार पर प्रार्थी का नाम महावीर पुत्र गोविन्दराम के बजाय महावीर प्रसाद सैनी पुत्र गोविन्दराम शुद्ध किया जाना उचित है।

2.12.2021

2/12/2021

शुद्ध किया जाना उचित है।

2/12/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

– आदेश –

दिनांक –

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार (मु0उ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर (तहसीलदार मु0उ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी के रिकार्ड में अन्तर्गत दरामद के आदेश दिए जाते हैं।

क्रम	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
2	जगदीशपुरा	2017-18	9	महावीर पुत्र गोविन्दराम सैनी	महावीर प्रसाद सैनी पुत्र गोविन्दराम सैनी

नोट :–शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त नियमों के अनुसार पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक – 2/12/2021

क्रमांक – राजस्व/2020/1790-91

प्रतिलिपि –

1 तहसीलदार (मु0उ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।

2 प्रार्थी/प्रार्थीगण ..... को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:22:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner